इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी 2013—माघ 25, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

फा. क्र. 505-इक्कीस-ब(दो)-2013.—मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के खण्ड 1 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 मार्च 2012 उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त स्कीम के अध्याय 1, 3 एवं 6 के उपबंध प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे तथा दिनांक 1 अप्रैल 2013 उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त स्कीम के अध्याय 2, 4 तथा 5 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

"मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012"

मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12.08.2012 को आयोजित वकील पंचायत में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु स्कीम का गठन

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012" है।

(2) इस स्कीम का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह स्कीम उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस स्कीम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं :- इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिवक्ता" एवं "आश्रित" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 में क्रमशः यथापरिभाषित "अधिवक्ता" एवं "आश्रित"।

(ख) "व्यवसाय के बंद हो जाने", "निवृत्ति" और "व्यवसाय के निलंबन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 में यथापरिभाषित "व्यवसाय के बंद हो जाने", "निवृत्ति" और "व्यवसाय के निलंबन"।

(ग) "राज्य विधिज्ञ परिषद" से अभिप्रेत है एड्वोकेट एक्ट 1961 की धारा-3 के अंतर्गत गठित "मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद"।

(घ) "विधिज्ञ संथा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 में यथापरिभाषित "विधिज्ञ संथा"।

(ड) "समिति" से अभिप्रेत है वर्तमान स्कीम के अंतर्गत गठित "समिति"।

(च) "गंभीर बीमारी" से अभिप्रेत है "कैंसर, ओपन हार्ट/बायपास सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी, किडनी/लिवर प्रत्यारोपण, ब्रेन हेमरेज, पक्षाघात" और अन्य ऐसी बीमारी, जिसे जिले के चिकित्सीय बोर्ड द्वारा गंभीर बीमारी होने का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

(छ) "निधि" से अभिप्रेत है "वर्तमान स्कीम के प्रयोजनों के लिए गठित निधि"।

(ज) "उपचार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में यथापरिभापित "उपचार"।

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश राज्य"।

(ञ) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस स्कीम में संलग्न "परिशिष्ट"।

(ट) इस स्कीम में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 में परिभाषित है, किंतु स्कीम में परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिए गये हैं।

3(क). स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि अधिवक्ता सुसंगत समय पर वास्तविक रूप से व्यवसायरत हो/रहा हो और उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर)/जिला/तहसील अधिवक्ता संघ में भी अधिवक्ता व्यवसाय के लिए पंजीकृत हो।

(ख). इस संबंध में संबंधित अधिवक्ता को/उसके आश्रित/आश्रितों को, संबंधित विधिज्ञ संथा (बार एसोसिएशन) के अध्यक्ष, जिसका वह सदस्य हो/रहा हो, का प्रमाण-पत्र तथा संबंधित विधिज्ञ संथा में पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ग). राज्य सरकार से प्राप्त निधि से "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि" नाम से इस स्कीम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान/सहायता के लिये एक निधि गठित की जावेगी और राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि" के लिये विधि विभाग, जो कि इस स्कीम को विनियमित, प्रशासित एवं नियंत्रित करने के लिये नोडल विभाग के रूप में होगा, के माध्यम से पृथक बजट एक शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित करेगी।

(घ). स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली राशि नियमानुसार ई-पेमेंट के द्वारा संबंधित जिला/तहसील विधिज्ञ संथा, संबंधित अधिवक्ता, आश्रित/आश्रितों को प्रदान की जायेगी।

4. स्कीम का संचालन एक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :-

(एक) सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (न्यायिक शाखा-2) - अध्यक्ष
(दो) अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (न्यायिक शाखा-2) - सदस्य
(तीन) अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (स्थापना शाखा)-सदस्य सचिव
(चार) अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जिसे प्रमुख सचिव वित्त द्वारा नामांकित किया गया हो - सदस्य,
(पॉच) चेयरमैन, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद - सदस्य,
(छः) सचिव, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद - सदस्य,
(सात) कोषाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद - सदस्य

अध्याय-2

राज्य द्वारा अधिवक्ता की मृत्यु पर सहायता प्रदान किया जाना

5. राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा मृत अधिवक्ता के आश्रित/आश्रितों को एक लाख रूपयें की राशि की सहायता प्रदान किए जाने पर उसकी समतुल्य राशि एक लाख रूपयें की सहायता राज्य द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।

6. मृत अधिवक्ता के आश्रित/आश्रितों द्वारा सहायता हेतु आवेदन राज्य विधिज्ञ परिषद् के माध्यम से समिति के समक्ष, विहित प्रारूप में (**परिशिष्ठ-1**) राज्य विधिज्ञ परिषद् के सत्यापन सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ मृत अधिवक्ता

का राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/पंजीयन, परिचय-पत्र, संबंधित विधिज्ञ संथा का पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा आवेदक की पहचान सुनिश्चित् करने वाले दस्तावेज (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड/शैक्षणिक दस्तावेज/ड्रायविंग लायसेंस/फोटो वाली बैंक पासबुक) की सत्यापित छायाप्रति एवं आवेदक का शपथ-पत्र (जिसमें आवेदक का मृतक से संबंध एवं अधिवक्ता वास्तविक रूप से व्यवसायरत होने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो) सहित प्रस्तुत किये जाऐगे।

7. मृत अधिवक्ता के एक से अधिक "आश्रितों" के द्वारा पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर और "आश्रित" के संबंध में विवाद होने पर राज्य विधिज्ञ परिषद् यह विनिश्चत करेगी कि राशि का भुगतान किस "आश्रित"/किन "आश्रितों" को किया जावे और इस संबंध में राज्य विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चिय अंतिम होगा।

8. समिति की बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद समिति द्वारा आवेदक को सहायता के लिए अर्ह पाये जाने पर समिति द्वारा "आश्रित"/"आश्रितों" को नियमानुसार ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति विहित प्रारूप (**परिशिष्ठ-2**) में आवेदक प्राप्ति दिनांक से तीन माह के अन्दर समिति को प्रेषित करेगा।

अध्याय-3

राज्य द्वारा विधि व्यवसाय में प्रवेश पर नवीन अधिवक्ताओं को अनुदान प्रदाय किया जाना

9. राज्य द्वारा विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु फर्नीचर (कुर्सी/मेज आदि) क्रय करने हेतु एकमुश्त 12,000/-रूपयें की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

10. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रत्येक छः माह में नामांकित होने वाले अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण अधिवक्ताओं की सूची अधिवक्ता के पूर्ण विवरण, पंजीयन क्रमांक एवं अधिवक्ता परिचय-पत्र की प्रति सहित परिषद् के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर से समिति को प्रेषित की जाएगी।

11. स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु संबंधित नामांकित अधिवक्ता को शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि वह वास्तव में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करेगा और विधि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा और यदि 05 वर्ष के पूर्व विधि व्यवसाय बंद करता है तो वह स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि 12,000/-रूपयें राज्य को तीन माह के अंदर वापस करेगा।

लेकिन यदि संबंधित अधिवक्ता उपरोक्तानुसार राशि वापस नहीं करता है तो उक्त राशि की वसूली संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति संबंधित जिले के कलेक्टर को लिखेगी।

12. स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाला अधिवक्ता भुगतान प्राप्त होने के बाद तीन माह के अंदर समिति को राज्य विधिज्ञ परिषद के माध्यम से परिषद के सत्यापन/अभिप्रमाणन सहित विहित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र **(परिशिष्ठ-3)** प्रेषित करेगा कि उसे 12,000/-रूपयें की राशि प्राप्त हो चुकी है जिसका उसके द्वारा विहित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा चुका है।

अध्याय-4

राज्य द्वारा जिला/तहसील स्तर पर विधिज्ञ संथाओं के पुस्तकालय को समृद्ध बनाने हेतु आवश्यक/समुचित अनुदान दिया जाना

13. पुस्तकालय हेतु अनुदान प्राप्त करने की पात्रता जिला स्तर पर जिला न्यायालय से सम्बद्ध जिला विधिज्ञ संथा एवं तहसील स्तर पर सिविल न्यायालय से सम्बद्ध तहसील विधिज्ञ संथा को होगी। इस हेतु राज्य विधिज्ञ परिषद् उसके द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत विधिज्ञ संथाओं की सूची परिषद् के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर से सुसंगत दस्तावेजों सहित समिति को प्रतिवर्ष अप्रेल माह में उपलब्ध कराएगी।

14. राज्य के जिला एवं तहसील स्तर पर स्थित सभी विधिज्ञ संथाओं में से जिला स्तर पर स्थित सभी विधिज्ञ संथाओं में से प्रत्येक विधिज्ञ संथा को प्रति दो वर्ष में 50,000/-रूपयें तथा तहसील स्तर पर स्थित सभी विधिज्ञ संथाओं में से प्रत्येक विधिज्ञ संथा को प्रति दो वर्ष में 20,000/-रूपयें की राशि पुस्तकालय समृद्ध करने हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। पुस्तकालय हेतु विधि पुस्तकें हार्ड कॉपी के रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में क्रय की जा सकेगी।

15. जिला एवं तहसील स्तर के विधिज्ञ संथाओं की सूची वर्णानुक्रम में तैयार की जावेगी। एक वित्तीय वर्ष में जिला स्तर के विधिज्ञ संथाओं में से आधी विधिज्ञ संथाओं को वर्णानुक्रम में तथा तहसील स्तर पर विधिज्ञ संथाओं में से आधी विधिज्ञ संथाओं को वर्णानुक्रम में राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शेष विधिज्ञ संथाओं को अगले वित्तीय वर्ष में वर्णानुक्रम में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

16. संबंधित विधिज्ञ संथा अनुदान प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह के अंदर प्राप्त अनुदान से क्रय की गई पुस्तकों की सूची, केश-मेमो, पुस्तकालय की पंजी में प्रविष्ठि की प्रति सहित सूचना विहित प्रारूप **(परिशिष्ठ-4)** में एवं राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति विहित प्रारूप **(परिशिष्ठ-2)** में राज्य विधिज्ञ परिषद् के माध्यम से परिषद् के सत्यापन/अभिप्रमाणन सहित समिति को प्रेषित करेंगे।

17. समिति को कभी भी किसी भी ऐसी संथा के पुस्तकालय का, जिसे इस योजना के तहत सहायता/अनुदान प्रदान किया जा रहा है, निरीक्षण करने का अधिकार होगा और जिला विधिज्ञ संथा के पुस्तकालय का संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नामांकित न्यायाधीश और तहसील स्थित विधिज्ञ संथा के पुस्तकालय का संबंधित तहसील में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश को भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

अध्याय-5

राज्य द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता को सहायता प्रदाय किया जाना

18. राज्य द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने वाले अधिवक्ताओं के इलाज हेतु स्टेट बार काउंसिल द्वारा सृजित फंड में रूपयें एक करोड़ प्रतिवर्ष का एकमुश्त अनुदान दिया जायेगा। राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का निवेश किन्ही योजनाओं में नहीं किया जावेगा और उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जावेगा जिसका ब्याज प्रतिवर्ष शासन के मद में जमा किया जावेगा।

19. वर्तमान अध्याय में वर्णित स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता उसी अधिवक्ता को होगी जिसकी सकल वार्षिक आय 5.00 लाख रूपयें या उससे कम हो तथा आयकर दाता न हो।

20. फंड का संचालन मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अनुसार/के अन्तर्गत गठित न्यासी समिति द्वारा किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता वास्तविक इलाज में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ही प्रदान की जावेगी।

21. अधिवक्ता/आश्रित/आवेदक द्वारा सहायता हेतु आवेदन राज्य विधिज्ञ परिषद् के समक्ष विहित प्रारूप (**परिशिष्ठ-5 अथवा 6**) में उसमें उल्लेखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

22. इसके बाद राज्य विधिज्ञ परिषद् आवेदन का परीक्षण कर विनिश्चित करेगी कि सहायता प्रदान किया जाना है अथवा नहीं ?

23. गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता को अधिकतम 1.00 लाख रूपयें तक की सहायता ''उपचार'' हेतु ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।

24. ''उपचार'' हेतु राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा स्वयं का पूर्ण समाधान होने पर तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर, सहायता उपचार के प्रारम्भ में, उपचार के दौरान या उपचार समाप्ति पर प्रदान की जा सकती है तथा उपचार हेतु सहायता सीधे चिकित्सक/चिकित्सालय को अथवा संबंधित अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जा सकती है।

25. संबंधित अधिवक्ता/आश्रित राशि प्राप्त होने एवं उपचार के दौरान/उपचार पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप (**परिशिष्ठ-7 अथवा 8**) में उसमें वर्णित दस्तावेजों सहित राज्य विधिज्ञ परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

26. राज्य विधिज्ञ परिषद् प्रति वर्ष अप्रैल माह में उक्त फंड से दी गई सहायता के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन, जिसमें अधिवक्ताओं, जिन्हें सहायता प्रदान की गई, के विस्तृत/पूर्ण विवरण (नाम/पते, पंजीयन क्रमांक) बीमारी की प्रकृति, चिकित्सीय इलाज के सम्पूर्ण

दस्तावेज, राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति, उल्लेख हो तथा उससे संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं कण्डिका-25 में वर्णित उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि सहित समिति को प्रेषित करेगी।

27. यदि शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिवक्ता द्वारा उपचार हेतु कोई राशि/सहायता प्राप्त की जाती है, तो अधिवक्ता को इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र योग्य राशि में से वह राशि, जो वह पूर्व में अन्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त कर चुका है, कम की जायेगी अथवा बाद में रूपयें 1.00 लाख में से वह राशि राज्य को वापस की जावेगी।

सामान्यतः गम्भीर बीमारी के लिए एक अधिवक्ता को एक ही बार उपरोक्तानुसार सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी। समिति परीक्षण उपरांत आपवादिक परिस्थिति में किसी अधिवक्ता को एक बार से ज्यादा उपरोक्तानुसार सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

अध्याय-6
विविध

28. स्कीम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समिति के समक्ष समस्त आवेदन, राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य विधिज्ञ परिषद् के माध्यम से परिषद् के विहित प्रारूप में सत्यापन/अनुप्रमाणन (**परिशिष्ठ-9**) सहित, जो परिषद् के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं समस्त सुसंगत एवं यथा पूर्व स्थानों पर वर्णित/उल्लेखित दस्तावेजों, जिनसे प्राप्त राशि का पूर्ण एवं सही उपयोग होना दर्शित हो, सहित समिति को राशि की प्राप्ति दिनांक से 6 माह के अन्दर/प्रतिवर्ष अप्रेल माह में प्रेषित करेगी।

यदि संबंधित अधिवक्ता द्वारा स्कीम के अंतर्गत उपबंधित अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे प्रदत्त सहायता राशि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जा सकेगी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति संबंधित जिले के कलेक्टर को लिखेगी।

29. स्कीम के अन्तर्गत किसी भी विषय के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

30. स्कीम के अन्तर्गत किये गये समस्त व्ययों का राज्य शासन के नियमानुसार महालेखाकार से ऑडिट कराया जावेगा तथा स्कीम के अंतर्गत किए गए व्ययों के विवरण प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

परिशिष्ट-1

अधिवक्ता की मृत्यु पर सहायता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन का प्रारूप

1. I. मृत अधिवक्ता का नाम :- ----------
   II. पिता/पति का नाम :- ----------
   III. उम्र :- ----------
   IV. निवास स्थान :- ----------
   V. व्यवसाय का स्थान :- ----------
   VI. उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा में पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
   VII. राज्य विधिज्ञ परिषद का पंजीयन क्रमांक :- ----------
   VIII. व्यवसाय की अवधि :- ----------

2. मृत अधिवक्ता के सभी आश्रितों/आवेदकों का विवरण :-

क्र	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	निवास स्थान/ पता	आवेदक का मृत अधिवक्ता से संबंध
1					
2					
3					

3. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-
   I. मृत अधिवक्ता का राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
   II. मृत अधिवक्ता के उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
   III. आवेदक/आवेदकों के मतदाता परिचय-पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड/शैक्षणिक दस्तावेजों/ड्रायविंग लायसेंस/फोटो वाली बैंक पासबुक की सत्यापति प्रति।
   IV. अधिवक्ता वास्तविक रूप से व्यवसायरत होने के संबंध में संबंधित विधिज्ञ संथा के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।
   V. आवेदक/आवेदकों के शपथ-पत्र जिनमें निम्न तथ्यों का उल्लेख हो :-
      अ. आवेदक/आवेदकों के मृतक से संबंध।
      ब. मृतक अधिवक्ता मृत्यु के समय वास्तविक रूप से व्यवसायरत था/थी।

दिनांक :-
स्थान :-

(आवेदक/आवेदकों के नाम व हस्ताक्षर)

!! सत्यापन !!

मैं/हम आवेदक/आवेदकगण यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन की कण्डिका 1 एवं 2 तथा कण्डिका-3 में वर्णित दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्य मेरे/हमारे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है।

दिनांक :-

स्थान :- **(आवेदक/आवेदकों के नाम व हस्ताक्षर)**

परिशिष्ट-2

राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति हेतु प्रारूप

(स्कीम के अंतर्गत सभी तरह की राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति हेतु)

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि निम्नानुसार राशि प्राप्त हो चुकी है :-

बैंक का नाम एवं प्राप्तकर्ता खाता क्रं.	दिनांक	राशि	प्रयोजन (स्कीम का संक्षिप्त विवरण)	राशि प्राप्त करने वाले का पूर्ण विवरण (नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, निवास स्थान)

दिनांक :-

स्थान :- **(प्राप्तकर्ता का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)**

परिशिष्ट-3

विधि व्यवसाय में प्रवेश पर नवीन अधिवक्ता को प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मैं (नाम) ..... पिता/पति का नाम ..... उम्र ..... निवास स्थान ..... विधि व्यवसाय का स्थान ..... कार्यालय का पता ..... राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्र. ..... तथा उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा का पंजीयन क्रमांक ..... एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे खाता क्र. ..... बैंक का नाम .... में ई-पेमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त राशि रूपयें ..... का उपयोग मेरे द्वारा विहित प्रयोजन के लिए किया जा चुका है तथा स्कीम की कण्डिका-11* में वर्णित शपथ-पत्र, राज्य विधिज्ञ परिषद् एवं उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापति प्रति संलग्न है।

दिनांक :-
स्थान :-

(प्राप्तकर्ता का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)

*स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु संबंधित नामांकित अधिवक्ता को शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि वह वास्तव में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करेगा और विधि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा और यदि 05 वर्ष के पूर्व विधि व्यवसाय बंद करता है तो वह स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि 12,000/-रूपयें राज्य को तीन माह के अंदर वापस करेगा।

लेकिन यदि संबंधित अधिवक्ता उपरोक्तानुसार राशि वापस नहीं करता है तो उक्त राशि की वसूली संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति संबंधित जिले के कलेक्टर को लिखेगी।

परिशिष्ट-4

पुस्तकालय समृद्ध किए जाने हतु प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विधिज्ञ संथा का नाम ..... वर्ष .....

जिला/तहसील विधिज्ञ संथा ..... एतद्द्वारा यह प्रमाणित करती है कि उसके द्वारा मध्यप्रदेश शासन से ब्लाक अवधि वर्ष ..... के लिए प्राप्त अनुदान राशि रूपयें 50 हजार/20 हजार से निम्नानुसार पुस्तकें क्रय कर अनुदान राशि का पूर्ण एवं वास्तविक उपयोग किया जा चुका है :-

क्रं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	भाषा	संस्करण एवं मुद्रण वर्ष	मूल्य	विक्रेता का नाम पता सहित	पुस्तकालय पंजीयन क्रं.

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. केश मेमों की सत्यापित छायाप्रति।
2. पुस्तकालय पंजी की सत्यापित छायाप्रति।

दिनांक :-
स्थान :-

(अध्यक्ष का नाम व हस्ताक्षर).....

(सचिव का नाम व हस्ताक्षर).....

परिशिष्ट-5

गंभीर बीमारी हेतु सहायता प्राप्त करने बाबत् आवेदन-पत्र

(अधिवक्ता स्वयं के द्वारा प्रस्तुत करने पर)

1. I. अधिवक्ता का नाम :- ----------

II. पिता/पति का नाम :- ----------

III. उम्र :- ----------

IV. निवास स्थान/पता :- ----------

V. व्यवसाय का स्थान :- ----------

VI. राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्रमांक :- ----------

VII. उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा का पंजीयन क्रमांक :- ----------

VIII. व्यवसाय की अवधि :- ----------

2. बीमारी की प्रकृति/विवरण :- ----------

3. वांछित सहायता राशि :- ----------

4. शासन की अन्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता/राशि के पूर्ण विवरण :- ----------

5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

I. राज्य विधिज्ञ परिषद् के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।

II. उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।

III. अधिवक्ता की बीमारी के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सक/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा संस्थान के दस्तावेज।

IV. अधिवक्ता वास्तविक रूप से व्यवसायरत होने के संबंध में संबंधित विधिज्ञ संथा के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।

दिनांक :-

स्थान :- **(अधिवक्ता का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)**

!! सत्यापन !!

मैं यह सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन की कण्डिका 1 से 4 एवं कण्डिका-5 में वर्णित दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है।

दिनांक :-
स्थान :- (अधिवक्ता का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-6

गंभीर बीमारी हेतु सहायता प्राप्त करने बाबत् आवेदन-पत्र

(अधिवक्ता हेतु अन्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर)

1. I. अधिवक्ता का नाम :- ----------
   II. पिता/पति का नाम :- ----------
   III. उम्र :- ----------
   IV. निवास स्थान/पता :- ----------
   V. व्यवसाय का स्थान :- ----------
   VI. राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्रमांक :- ----------
   VII. उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा का पंजीयन क्रमांक :- ----------
   VIII. व्यवसाय की अवधि :- ----------

2. आवेदक का नाम :- ----------
   पिता/पति का नाम :- ----------
   उम्र :- ----------
   निवास स्थान/पता :- ----------
   अधिवक्ता से संबंध :- ----------

3. बीमारी की प्रकृति/विवरण :- ----------
   ----

4. वांछित सहायता राशि :- ----------

5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

I. राज्य विधिज्ञ परिषद् के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।

II. उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।

III. अधिवक्ता की बीमारी के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सक/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा संस्थान के दस्तावेज।

IV. अधिवक्ता वास्तविक रूप से व्यवसायरत होने के संबंध में संबंधित विधिज्ञ संथा के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।

V. अधिवक्ता से आवेदक के संबंध/पहचान संबंधी दस्तावेज (मतदाता परिचय-पत्र/आधार कार्ड/शैक्षणिक दस्तावेज/राशन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/फोटो वाली बैंक पासबुक आदि)।

दिनांक :-

स्थान :- **(आवेदक का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)**

!! सत्यापन !!

मैं/हम आवेदक/आवेदकगण यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन की कण्डिका 1 से 4 एवं कण्डिका-5 में वर्णित दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्य मेरे/हमारे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है।

दिनांक :-

स्थान :- **(आवेदक का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)**

परिशिष्ट-7

गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता को प्राप्त सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(अधिवक्ता स्वयं द्वारा प्रस्तुत करने पर)

मैं (नाम) ..... पिता/पति का नाम ..... उम्र ..... निवास स्थान ..... विधि व्यवसाय का स्थान ..... राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्र. ..... एवं उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा का पंजीयन क्रमांक ..... एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे मेरी गंभीर बीमारी के इलाज हेतु मुझे/चिकित्सक/संबंधित चिकित्सीय संस्थान को खाता क्र. .... बैंक का नाम ..... दिनांक ..... को ई-पेमेंट के माध्यम से राशि रूपयें ..... प्राप्त हो चुकी है और मेरे द्वारा गंभीर बीमारी (बीमारी का नाम .....) के इलाज में उक्त प्राप्त राशि पूर्ण एवं वास्तविक रूप में व्यय की जा चुकी है, जिसके संबंध में आवश्यक चिकित्सीय दस्तावेज संलग्न है।

दिनांक :-
स्थान :-

(अधिवक्ता का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-8

गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता को प्राप्त सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(अधिवक्ता की ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने पर)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि अधिवक्ता (नाम) श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति का नाम ..... उम्र ..... निवास स्थान ..... विधि व्यवसाय का स्थान ..... राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्र. ..... एवं उच्च न्यायालय/जिला/तहसील विधिज्ञ संथा का पंजीयन क्रमांक ..... को गंभीर बीमारी (बीमारी का नाम .....) के इलाज हेतु चिकित्सक/संबंधित चिकित्सीय संस्थान को खाता क्र. ..... बैंक का नाम .... दिनांक ..... में ई-पेमेंट के माध्यम से राशि रूपयें ..... प्राप्त हो चुकी है और अधिवक्ता की गंभीर बीमारी (बीमारी का नाम ....) के इलाज में उक्त प्राप्त राशि पूर्ण एवं वास्तविक रूप में व्यय की जा चुकी है, जिसके संबंध में आवश्यक चिकित्सीय दस्तावेज संलग्न है। अधिवक्ता से मेरे संबंध/पहचान संबंधी दस्तावेज (मतदाता परिचय-पत्र/ आधार कार्ड/शैक्षणिक दस्तावेज/राशन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/फोटो वाली बैंक पासबुक आदि) संलग्न है।

दिनांक :-
स्थान :-

आवेदक का नाम ----------
पिता/पति का नाम ----------
उम्र ----------
अधिवक्ता से संबंध ----------
निवास स्थान/पता ----------

परिशिष्ट-9

राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रेषित किए जाने वाले सत्यापन/अभिप्रमाणन का प्रारूप

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि अधिवक्ता श्री/श्रीमती/कु. .... जिनका राज्य विधिज्ञ परिषद् का पंजीयन क्रमांक ..... है,/आवेदक/आवेदकों श्री ..... /अधिवक्ता संघ ..... को "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012" के अंतर्गत .... अनुदान/सहायता/राशि प्राप्त करने की पात्रता है। संबंधित अधिवक्ता/आवेदक/विधिज्ञ संथा द्वारा "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012" के सभी प्रावधानों का पालन किया जा चुका है और उक्त स्कीम में वांछित सभी दस्तावेज संलग्न है।

दिनांक :-

(अध्यक्ष/सचिव)
राज्य विधिज्ञ परिषद्, जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.